न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

समीना आदि बनाम धर्मेन्द्र सिंह आदि

प्रकरण का प्रकार 225 आरटीएक्ट क्रमांक 178 सन 2021

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
24.09.2021	पत्रावली रिपोर्ट उपरान्त पेश हुई। अपीलाण्ट के अधिवक्ता को श्रवणाधिकार पर सुना गया। दर्ज रजिस्टर हो। अपीलाण्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता का बहस में कथन है कि विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के विरूद्ध दिनांक 09.11.2020 को एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया है उक्त स्थगन प्रार्थना–पत्र का रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 ने जवाब पेश कर दिया व अपीलाण्ट को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के प्रार्थना–पत्र पर पक्षकार बनाया गया । अपीलाण्ट द्वारा वादग्रसत संयुक्त खाता की भूमि में से रेस्पो0 सं0 2 व 3 के हिस्सा की भूमि स्थगन आदेश दिनांक 09.11.2020 के पूर्व ही खरीद कर ली थी। अपीलाण्ट भूमि पर काबिज है इसलिए एकपक्षीय स्थगन आदेश से पीड़ित है। अतः एकपक्षीय आदेश की पालना एवं प्रभाव को रोका जावे। अपीलाण्ट के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के विरूद्ध 650 आरडी के संयुक्त खाता की 2.2140 है0 भूमि बाबत एकतरफ अस्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोडेण्ट संख्या 2व 3 के विरूद्ध प्राप्त की थी। उक्त आदेश में वादग्रस्त भूमि को रहन बैय नहीं करने का आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट सं0 1 के प्रार्थना–पत्र पर अपीलाण्ट को पक्षकार बनाया है। अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि में से रेस्पोडेण्ट सं0 2 व 3 की भूमि जरिये बयनामा दिनांक 26.10.2020 को खरीद कर ली थी व स्थगन आदेश दिनांक 09.11.2020 को जारी किया गया है। अपीलाण्ट	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:42 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

	को बिना सुने ही एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया गया है। पत्रावली में संलग्न प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट में रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने ऐसा कोई आधार भी अंकित नहीं किया है जिससे वह संयुक्त खाता की संपूर्ण भूमि के संबंध में स्थगन प्राप्त कर सके। प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीयक्षति, सुविधा का सन्तुलन अपीलाण्ट के पक्ष में है। अतः अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर स्वीकार योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के प्रकरण अनवानी धर्मेन्द्र सिंह बनाम रामनारायण आदि प्रकरण सं0 53/2020 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 09.11.2020 अपास्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि दोनों पक्षों को सुनकर 30 दिवस में प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करे। अधीनस्थ न्यायालय को पालना हेतु आदेश की प्रति भेजी जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। 24.9.21 राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ Signature Not Verified Digitally signed by Kartar Singh Poonia Date: 2021.11.01 11:17:42 IST Reason: SelfAttested